आमने-सामने

किराए पर कोख

आरती धर

भारत की 'दुग्ध नगरी' नाम से परिचित इस शहर के बीचों-बीच *आकांक्षा गर्भाधान क्लीनिक* व होस्टल है जहां विदेशी दम्पतियों को अपनी कोख किराए पर देने वाली औरतें रहती हैं। गरीबी से परेशान ये औरतें पैसों के एवज़ में किसी दूसरे के लिए बच्चे को जन्म देती है। सरोगेट मातृत्व आज एक फलता-फूलता उद्योग है जिसके कारण इस क्लीनिक का व्यापार बड़े ज़ोर-शोर से चलता रहता है। गरीब, अनपढ़ औरतों की निरन्तर सप्लाई और कानून के अभाव ने इस धंधे को पैसा कमाने का अच्छा साधन बना दिया है।

यहां रहने वाली औरतों से बातचीत करने पर कुछ खास बातें सामने आती हैं। एक बेलदार की पत्नी नाज़िरा अपने परिवार की आर्थिक तंगी दूर करने के इरादे से यहां आई है। बच्चा पैदा होने के बाद उसे अनुबंध के अनुसार 3.5 लाख रुपये मिलेंगे। इसक अलावा उसे नौ महीनों तक एक अच्छी खासी माहवार रकम भी मिलती है। अगर वह जुड़वां बच्चों को जन्म देती है तो 'पार्टी' उसे रकम का 20% अधिक देगी।

एक अन्य महिला अपनी बेटी की शादी के लिए रुपये इकट्ठे करने के इरादे से अपना गर्भाशय किराए पर उठाने को राजी हो गई। क्लीनिक में काम करने वाली एक महिला दो विदेशी जोड़ों के लिए तीन बच्चों को जन्म दे चुकी है। वह बताती है— 'पहले मैं अपने किराए के मकान से छोटे से घर में रहने गई और दूसरी बार में मैंने एक बड़ा सा मकान बना लिया।'

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अफ़सर बताते हैं कि हमारे देश में प्रतिनिधि कोख या सरोगेसी को लेकर कोई कानून नहीं है। यह वैध या अवैध नहीं है हालांकि समाज के अलग-अलग वर्गों से नागरिक इससे जुड़े नैतिक, सामाजिक, कानूनी और आर्थिक मुद्दों को उठाते रहे हैं।

भारत में गरीबी और अज्ञानता के चलते अमरीकी और अंग्रेज़ दम्पती भारत आते हैं और अपने देशों से आधी से भी कम कीमत में इन औरतों की सेवाएं हासिल करते हैं। विदेशों में सरोगेसी का ख़र्चा तो ज़्यादा है ही पर इसके साथ-साथ वहां कई तरह के कानूनी प्रतिबंध भी हैं। कई यूरोपीय देश तो सरोगेसी की इजाज़त भी नहीं देते।

भारत के विभिन्न शहरों के क्लीनिकों में बात करने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह व्यवसाय हमारे देश में किस हद तक फैला है। खर्चा लगभग आठ से दस लाख तक का होता है। डाक्टर दलाल का काम करते हैं और कोख किराए पर देने वाली महिला को कुल रकम में से पचास प्रतिशत से भी कम मिलता है।

इन क्लीनिकों पर नियंत्रण करने वाला कोई कानून या सहायक प्रजनन तकनीकों पर कोई बाध्य दिशानिर्देश नहीं हैं। 2005 में आईसीएमआर ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे पर ये भी कानूनी तौर पर बाध्य नहीं हैं। इन दिशानिर्देशों के आधार पर आईसीएमआर ने एक *सहायक प्रजनन नीति नियंत्रण अधिनियम 2010* तैयार किया है जिसे संसद के शरदकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

सरोगेसी व्यापार को जायज़ करार देते हुए *आकांक्षा गर्भाधान क्लीनिक* की डा. नैना पटेल दावा करती हैं कि हर महिला उनके साथ अपनी मर्ज़ी से अनुबंध करती है। "हम गर्भावस्था में देखभाल के अलावा उन्हें ऐसे जीवन कौशल सिखाते हैं जो भविष्य में उनकी मदद करेंगे। हमारी तकनीकें उच्च कोटि की हैं और हम सभी दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।"

प्रजनन क्लीनिकों के साथ जुड़ा एक चौंकाने वाला सत्य है यहां आने वाले

दम्पतियों का जाति और बच्चों के लिंग के प्रति रवैया। *आकांक्षा क्लीनिक* की डा. नैना पटेल ने बताया, 'हमारे पास आने वाले पचास प्रतिशत दम्पती अपनी ही जाति की महिला की कोख किराए पर लेने की मांग रखते हैं।' कुछ रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि बिहार में कुछ लोग अपनी जाति के व्यक्ति से शुक्राणु या अंडाणु लेने की भी इच्छा व्यक्त करते हैं।

समा (प्रजनन स्वास्थ्य पर कार्यरत नारीवादी समूह) ने 2008-2010 के बीच उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा में एक अध्ययन किया जिसके तथ्यों के आधार पर उन्होंने अनैतिक प्रजनन व्यवहारों को उजागर करते हुए सहायक प्रजनन तकनीकी उद्योग के नियंत्रण की मांग रखी। इस शोध में 43 सहायक प्रजनन तकनीक सेवा-प्रदाता व 86 महिला उपयोगकर्ताओं (जो आईवीएफ, आईयूआई, आईसीएसआई के ज़रिए उपचार करा रही थीं) का साक्षात्कार किया गया। पहुंच व नियंत्रण के साथ-साथ इस शोध का मकसद सहायक प्रजनन तकनीक के औद्योगिक पहलुओं की जांच करना भी था जिसमें महानगरों व छोटे शहरों के क्लीनिकों के आपसी संबंधों की समीक्षा भी शामिल थी। *समा* द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में दर्ज है कि उपचार में मानकीकरण का अभाव, बच्चों के जन्म में अंतर और प्रक्रियाओं का खर्च आदि कुछ खास समस्याएं हैं जिनका सामना महिलाओं को करना पड़ता है।

शोध से यह भी निकलकर आया है कि कुछ विशेष चिकित्सीय तकनीकों जैसे एक्टोपिक गर्भ, अण्डाशय अति उत्तेजना लक्षण, अनेक संतानोतपत्ति से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में महिलाओं को जानकारी नहीं दी जाती।

चिकित्सीय विशेषज्ञ अमर जेसानी बताते हैं, "जब एक महिला को भारी मात्रा में हारमोन दिए जाते हैं तब उसका शरीर बार-बार अंडाणु पैदा करने लगता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अंडाणु पैदा करना व सरोगेसी दोनों स्थितियों में औरत की जान को खतरा हो सकता है। यह रक्तदान या अंगदान की तरह ही है— इसे बार-बार और अनियंत्रित रूप से नहीं किया जा सकता।"

समा की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महिला की रज़ामंदी लेना महज़ औपचारिकता है क्योंकि फार्म में लिखी शर्तों के बारे में उसे पूरी जानकारी नहीं दी जाती। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कोई अनुबंध या रज़ामंदी नहीं ली गई है या फिर फार्म पर उससे अंगूठा लगवा लिया गया है। महिला का कोई बीमा भी नहीं कराया जाता। लिंग परीक्षण, अनेक भ्रूण आरोपण, रजोनिवृत्ति के पश्चात गर्भधारण के प्रयास आदि कुछ अन्य समस्याएं भी सामने आई हैं जिनका महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। *समा* की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व मानचित्र में व्यावसायिक सरोगेसी, अंडाणु दान कार्यक्रम जैसी सेवाएं मुहय्या कराने वाले देश के रूप में भी ख़ुद को स्थापित कर रहा है।

हमारे समाज में बेटों की चाह को देखते हुए यह समझना मुश्किल नहीं है कि सहायक प्रजनन तकनीक की मदद से दम्पतियों को बेटा पैदा करने में सहायता की जा सकती है। प्रजनन उद्योग भारत में चिकित्सा पर्यटन का अभिन्न अंग है। इस उद्योग में सन् 2000 में तीस प्रतिशत तथा 2005-10 के बीच पंद्रह प्रतिशत बढ़ोत्तरी देखी गई है। भारतीय औद्योगिक संघ के अध्ययन से सामने आया है कि यह उद्योग बड़ी तेज़ी से प्रगति कर रहा है और अनुमानित है कि 2012 के अंत तक 2.3 बिलियन डॉलर की उन्नति हासिल कर लेगा। आईआईएम, बंगलुरु की प्रोफ़ेसर रूपा चंदा के अनुसार, 'चिकित्सीय पर्यटन उद्योग में विश्वस्तर पर चार ट्रिलियन डॉलर की बढ़त अनुमानित है— और प्रजनन उद्योग जो इसका अभिन्न अंग है, में एक से दो बिलियन डॉलर की बढ़ोत्तरी संभव है।'

हालांकि भारत में प्रजनन क्लीनिकों के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं पर आईसीएमआर ने कुल मिलाकर 886 क्लीनिकों की पहचान की है जहां इस प्रकार की सेवाएं मुहय्या कराई जाती हैं। इसके अलावा सहायक प्रजनन तकनीक सलाहकार, चिकित्सीय टूर ऑपरेटर, सरोगेसी दलाल, पर्यटन जैसी सुविधाएं भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता बृंदा कारत का दृढ़-विश्वास है कि व्यावसायिक सरोगेसी, नैतिक और आर्थिक मूल्यों को अलग नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि सरकार को प्रस्तावित कानून पारित कर देना चाहिए हालांकि उसमें काफ़ी कमज़ोरियां हैं।

आरती धर *पेशे से पत्रकार हैं।*